1

संख्याः 2588/38-7-2008-351एनआरईजीए/2008 प ्रेषकः
रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प ्रदेष षासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/
मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 दिनांकः 31,अक्टूबर, 2008

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत ‘‘जल संचयन-जल संवर्धन’’ परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं दिशा निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ‘‘जल संचयन-जल संवर्धन’’ परियोजना क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से किया जायेगा।
2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना की रूपरेखा ए वं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा निर्देश निम्नवत् होंगेः-

1. परियोजना का नाम:
इस योजना को ‘‘ जल संचयन-जल संवर्धन ’’ परियोजना के नाम से क्रियान्वित किया जायेगा।
2. परियोजना का स्वरूप और उद्देश्य:
2.1 सिंचाई हेतु पानी की आवश्यताओं की पूर्ति हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में बड़ी संख्या में तालाब व नहरों का निर्माण किया गया है। यह देखा गया है कि रखरखाव के अभाव में कई तालाब अनुपयोगी हो जाते हैं।

2

क्षेत्र में जल भंडारण संरचना उपलब्ध होने के बावजूद भी ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। इसी प्रकार नहरें भी रखरखाव के अभाव में पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर पाती हैं जिससे कई किसानों के खेतों तक सिंचाई जल नहीं पहुंच पाता है। परिणाम स्वरूप निर्माण कार्यों मे एक बड़ी धनराशि निवेश किये जाने के बावजूद भी ये संरचनाऐं उपयोगी नहीं रह पाती है व वांछित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इन संरचनाओं की उपयोगिता लम्बे समय तक बनाये रखने के लिये इनका समुचित एवं नियमित रखरखाव आवश्यक है।

3. नरेगा के प्राविधानों से आच्छादन:
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी मार्गदर्शिका में
यह उल्लिखित है कि नरेगा के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के साथ
ही अनुसूची-1 में निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का कार्य भी
इस योजना में लिये जा सकते हैं चाहे वे अन्य किसी योजना के तहत
ही क्यों न निर्मित की गई हों। मार्गदर्शिका के प्रस्तर-5.1.3 में निम्नानुसार प्रावधानित है:-

"The maintenance of assets created under the Scheme (including protection of afforested land) will be considered as permissible work under NREGA. The same applies to the maintenance of assets created under other porgrammes but belonging to the sectors of works approved in Schedule I of the Act."
4. परियोजना के लाभार्थी:
4.1 इस योजना के निम्न लाभार्थी होंगंे:

4.1. ग्रामीण क्षेत्र के वे समस्त निवासी जो इन तालाबों में संग्रहीत पानी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से लाभ लेते हों।

3

4.2 ऐसी परियोजनाओं में जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत है, में कमाण्ड क्षेत्र के समस्त जल उपभोक्ता जो कि नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु
पानी लेते हैं।

5. कार्य योजना/प्रोजेक्ट बनाने व स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया: झील/तालाबों का रखरखाव: क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा संबंधित
अवर अभियन्ता सहित ‘‘सहभागिता वाक-थू्र‘‘ के माध्यम से बाँध/संरचना की भौतिक स्थिति का आंकलन किया जावे। प्रायः तालाबों/झील के रख-रखाब कार्याें के अंतर्गत आवश्यकतानुसार
सुधार कार्यों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जावे।

= बॉंध से गाद/सिल्ट निकालते हुए गहरा करना।
= बाँध के टॉप पर कड़ी मुरम फैलाना।
= बरसात के कारण बाँध के ढाल में उत्पन्न कटाव को कड़ी मिट्टी से भरा जाना।
= वेस्ट वियर के डाउन-स्ट्रीम में स्पिल चैनल की तलहटी की मिट्टी पानी के तेज बहाव से कट जाने की स्थिति में उसका आवश्यक सुधार कार्य।
नहरों का रखरखाव: क्रियान्वयन एजेन्सी के संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा ‘‘सहभागिता वाक-थू्र‘‘ के माध्यम से सिंचाई की दृष्टि से नहर प्रणाली की भौतिक स्थिति का आंकलन किया जावे। साथ ही संबंधित अवर अभियन्ता के साथ नहर प्रणाली हेतु प्रावधानित प्रत्येक संरचना यथा एक्वाडक्ट, क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ग्रामीण पुलिया एवं गेट आदि की स्थिति का भी आंकलन किया जावे।

प्रायः नहरों के रख-रखाब कार्याें के अंतर्गत आवश्यकतानुसार नहर सुधार कार्यों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जावे।

= नहर की तलहटी से गाद (सिल्ट) निकालना।

4

= तटों का सुधार कार्य।
= सिंचाई के दौरान, जहाँ-जहाँ छोटी-मोटी नहर टूटी हो, उसका सुधार कार्य।

तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रक्र्रिया

तकनीकी स्वीकृति:

नरेगा योजना में वणि्Zात प्रक्रिया का पालन करते हुए तैयार किये गये प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।

प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया:

क्रियान्वयन एजेन्सियों को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना-उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत नियत स्तर से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

कार्यों का शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जानाः

प्रस्तवित कार्यों का संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जावेगा। ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात प्रस्तावित कार्यों का ग्राम पंचायतवार अनुमोदन क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत सिंचाई तालाबों एवं माइनर नहरों के कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायत के शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा।
स्वीकृत कार्यों के संपादन हेतु राशि उपलब्ध कराना:

ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत संबंधित प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी को आवश्यक

5

राशि उपलब्ध करायेगी। उक्त के अतिरिक्त लाईन विभाग की तकनीकी देख-रेख में कार्य को ग्राम पंचायतें स्वयं भी करा सकेंगी।

निर्माण कार्य का प्रारंभ किया जाना:
उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कार्य हेतु चयनित निर्माण स्थल पर किया जायेगा। बड़े झील अथवा तालाब जिनके बीच में खोदी गई मिट्टी/निकाली गई गाद को मजदूरों द्वारा बाहर तक ढोकर लाना व्यावहारिक नहीं होगा, वहॉं सिर्फ कार्टेज के लिए भैंसा बुग्गी, ट्रैक्टर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। जिस काम को मजदूरों द्वारा किया जा सकता है उसके लिए किसी भी दशा में मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मशीनों के प्रयोग की अनुमति लिखित रूप
में जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिलाधिकारी को सूचित करते हुए जारी की जाएगी।
6. फण्ड फ्लो का विवरण:
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश-2008 के पैरा 8.3.2 के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का स्थानांतरण जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायतों को किया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष कार्य पर
व्यय करेंगी। ग्राम पंचायतें/जिला कार्यक्रम समन्वयक आवश्यकतानुसार धनराशि कार्यदायी विभागों को भी उपलब्ध करा सकते हैं।
7. सामग्री की व्यवस्था:
परियोजनांतर्गत वांछित सामग्री का क्रय एवं व्यवस्था ग्राम पंचायत/ लघु सिंचाई/सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी।
8. तकनीकी पर्यवेक्षण:

परियोजना के तहत निर्माण हेतु तकनीकी सहयोग लघु सिंचाई विभाग/सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

6

9. रिपोर्टिंग व अनुश्रवण की व्यवस्था:

परियोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड
ए वं लेखा रख-रखाव तथा अन्य अभिलेखों के रख-रखाव के संबंध में
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- उत्तर प्रदेश के तहत समय
समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे।
उक्त परियोजना के अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी जनपद स्तर पर उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) द्वारा कम से कम परियोजना के 10 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराया जायगा।
खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकासखण्ड के कार्यों की
श् ात-प्रतिशत निरीक्षण व अनुश्रवण कराया जायगा। योजना के कार्यो
की प्रगति की जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रेषित की जायेगी।

10. ग्राम पंचायत के दायित्व:
ग्राम पंचायत अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप लाइन विभाग की तकनीकी देख-रेख में स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य कराएंगी। चयनित कार्य की कार्य योजना तैयार कराएगी। तैयार कार्य योजना पर वांछित तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार प्रदान करेगी। ग्राम पंचायत परियोजनांतर्गत आवश्यक सामग्री का क्रय
ए वं व्यवस्था कराएगी। ग्राम पंचायत परियोजना से संबंधित अभिलेखों
का रख-रखाव तथा मस्टर रोल को नरेगा के एम.आई.एस. पर पोस्ट कराएगी।

7

11. क्षेत्र पंचायत के दायित्व:
ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्य योजना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला पंचायत को अपनी संस्तुति/मंतव्य सहित अग्रसारित करेगी। जिन परियोजनाओं पर ग्राम पंचायत की अनुमन्यता से अधिक धनराशि का कार्य निहित है उनका सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कराएगी।

12. संबंधित लाइन विभाग का दायित्व:
परियोजनांतर्गत लघु सिंचाई विभाग/सिंचाई विभाग तकनीकी मार्गदर्शन हेतु लाइन विभाग होगा। इनके द्वारा योजना के निर्माण तथा क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा पंचायतों द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने की दशा में परियोजना क्रियान्वित करने का कार्य भी किया जाएगा।

कृपया उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संलग्न: उपरोक्तानुसार।

संख्या–2588 (1)/38–7–2008 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) आयुक्त, ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश , लखनऊ।
(16) प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश।
(17) प्रमुख अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश ।
(18) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
(19) निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(20) निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
(21) निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश ।
(22) निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश।
(23) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(24) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।